**न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती**

**सत्र परीक्षण सं०---५५/२०१९**

**सरकार-बनाम-**विश्वनाथ आदि

धारा-३०२,१२०बी भा०दं०सं०का

थाना-कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती

**निस्तारण उन्मोचन प्रार्थनापत्र १७ख**

**०१-११-२०१९**

प्रार्थनापत्र १७ख अभियुक्त राम औतार की ओर से धारा-२२७दं०प्र०सं०. के अन्तर्गत उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के अनुसार प्रार्थी के घर से व वादी मुकदमा के घर से पुरानी रंजिश है इसी रंजिश के कारण गलत फहमी में झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। कथित घटना के समय प्रार्थी जेल में था। विवेचक ने दबाव में हम लोगों को धारा-१२०बी भा०दं०सं० में आरोपित करते हुए धारा-३०२/१२०बी भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया है। प्रार्थी घटना के पूर्व से अपराध सं० १३४ /९१ एस० टी०नंबर-१८८/९१ धारा-१४७,१४८,१४९,४३६,४२७,५०४,५०६भा०दं०सं०थाना कप्तानगंज जिला बस्ती में दिनांक २६-९-२०१८ को ही सात वर्ष की सजा हुई थी और उसी सजा को भुगतने हेतु निरूद्ध था। उसी रंजिश के कारण प्रार्थी को धारा-१२०बी भा०दं०सं० में जोड़ते हुए अभियुक्त बना दिया गया हैं। तहरीर में कानूनी राय से झूठे तौर पर मौखिक रूप यह जोड़ दिया गया कि घटना के ६ माह पहले जब इन लोगों की न्यायालय में सजा हुई थी उस दिन कचहरी में इन लोगों ने हत्या की धमकी दी थी। यदि ऐसा कुछ ६ माह पहले हुआ होता तो अदालत में इनके द्ववारा शिकायती प्रार्थनापत्र दिया गया होता या सक्षम पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसा प्रार्थनापत्र दिया गया होता,परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इससे साबित है कि उक्त बातें घटना घटित होने के बाद रंजिशन झूठी गढ़ी गयी हैं। धारा-१२०क भा०दं०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रार्थी के विरूद्ध धारा-१२०बी भा०दं०सं० का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही कथन किया है कि हमारे पति की हत्या जेल में बंद उक्त लोगों की साजिश और सहयोग से राम औतार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गोली मारकर उनके तख्ते पर ही किया है। विवेचक ने राम औतार को गिरफतार कर लिया। परन्तु राम औतार द्ववारा घटना कारित करते नहीं पाया है। बल्कि अन्य अभियुक्त दीपक द्ववारा गोली मारना बताया है तथा सुवाष को मोटर साइकिल चलाना बताया है। इसी प्रकार अन्य साक्षीगण साकेत यादव व श्याम बिहारी ने भी अपने धारा-१६१दं०प्र०सं० के बयानों में दीपक यादव द्वारा मारना व सुवाष चंद को मोटर साइकिल चलाकर भागने में सहयोग देना बताया है। प्रार्थी अन्य अभियुक्त जो धारा १२०बी में वांछित हैं उन लोगों के साथ जेल में नहीं था वह उक्त घटना में नाबालिग था। फैसला होने के पहले ही उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था। इस तरह व अन्य अभियुक्तगण के साथ जेल में नहीं था। उसके विरूद्ध धारा-१२०बी भा०दं०सं०का कोई सबूत नहीं है। पुलिस द्वारा हम अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए धारा-१६१दं०प्र०सं० में साक्षीगण के बयान लिख लिये हैं। अत: प्रार्थीको मुकदमें में आरोपित अपराध धारा-३०२/१२०बी भा०दं०सं से उन्मोचित किया जाये।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति करते हुए कहा गया कि वादी परिवार से अभियुक्त की दुश्मनी थी। इस तथ्य को स्वयं अभियुक्त ने स्वीकार किया है। घटना के दिन तमाम वकीलों की मौजूदगी में वादी के भतीजे साकेत एवं वादी के गांव के श्याम बिहारी की उपस्थिति में अभियुक्तगण द्ववारा वकील जगनरायन यादव की दिन दहाड़े हत्या की गयी है। अभियुक्तगण की वादी का मकान जलाने पर सजा हुई थी। सजा के समय ही अभियुक्तगण ने वकील जगनरायन यादव को खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्त अपने अन्य सहयोगियों के साथ साजिश के तहत वकील की हत्या दिन दहाड़े की है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर साक्ष्य मौजूद है। अत: प्रार्थनापत्र दिनांक १-११-२०१९ (१७ख) निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त राम औतार के पूर्व अन्य अभियुक्तगण विश्वनाथ,पारसनाथ उर्फ कन्हैया, शिवमूरत, सतीराम,राधेरमन,तिलकराम व राम सूरत की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सूचना की प्रति प्रस्तुत करते हुए यह याचना की गयी थी कि दिनांक २७-९-२०१८ से २८-२-२०१९ के मध्य जेल में अभियुक्तगण से राम औतार, दीपक उर्फ संत कुमार द्ववारा मुलाकात किये जाने का कारागार अभिलेख में उल्लेख नहीं है अर्थात मुलाकात प्रविष्टि पंजिका में राम औतार और दीपक उर्फ संत कुमार का अभियुक्तगण से मिलने की कोई प्रविष्टि नहीं है।

जिस पर यह निष्कर्ष दिया गया कि यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि आरोप निर्धारित करते समय अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार नहीं किया जायेगा अर्थात जिला कारागार बस्ती के मुलाकात प्रविष्टि पंजिका के आधार पर अभियुक्तगण को उन्मोचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभियुक्तगण विश्वनाथ,पारसनाथ उर्फ कन्हैया, शिवमूरत, सतीराम,राधेरमन,तिलकराम व राम सूरत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र १२ख अन्तर्गत धारा-२२७दं०प्र०सं० दिनांक १७-१०-२०१९ को निरस्त किया जा चुका है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा (१९९६) ४ एस०सी०सी०-६५९ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पत्रावली में उपलब्ध सामग्री से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित अपराध संभाव्य है तो आरोप लगाये जाने का पर्याप्त आधार होता है। उमर अब्दुल्लाह सकूर सोरठिया बनाम इंटेलीजेंसी आफीसर, एन०सी०बी० १९९९ क्रिमिनल ला रिपोर्टस ४९९(सुप्रीम कोर्ट) में यह व्यवस्था दी गयी है कि आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह गहराई में जाय और यदि उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा तो न्यायालय के लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया जाना आवश्यक होगा। सुपरिटेन्डेण्ट एवं रिमेम्ब्रान्सर आफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनिल कुमार भूंजा ए०आई०आर०१९८०सुप्रीम कोर्ट-५२ में यह व्यवस्था दी गयी है कि मजबूत संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है। उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पधी जे०टी० २००४(१०) सु०कोर्ट ३०३ में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय विस्तृत जांच की अनुमति नहीं है। बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह (१९७७) ४ एस०सी०सी०-३९ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विचारण

की शुरूआत पर उपलब्ध साक्ष्य की सत्यता, विश्वसनीयता अथवा प्रभाव का सूक्ष्मता से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। सांधी ब्रदर्स (इन्दौर) प्राइ०लि० बनाम संजय चौधरी एवं अन्य (२००८) १० एस०सी०सी०-६८१ में आर०एस०नायक बनाम ए०आर०अंतुले (१९८६) २ एस०सी०सी०-७१६ में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय केवल प्रथम दृष्टया केस देखना होता है और मजबूत संदेह आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त होता है और आरोप लगाये जाने के स्तर पर यह नहीं देखना है कि अभियुक्त दोषसिद्ध हो सकता है अथवा नहीं। राज्य बनाम एस०बंगारप्पा (२००१) १ एस०सी०सी०-३६९ में यह व्यवस्था दी गयी है कि उपलब्ध साक्ष्य की विस्तृत व्याख्या व निर्वचन किया जाना आवश्यक नहीं होता। दिल्ली राज्य बनाम ज्ञान देवी २००१(४२) ए०सी०सी०-३०(सु०कोर्ट) में यह व्यवस्था दी गयी है कि आरोप विरचित किये जाते समय परीक्षण न्यायालय को विस्तृत रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक नहीं है। कान्ती भद्र शाह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य २००० सी०आर०एल०जे०-७४६(सु०कोर्ट) में यह व्यवस्था दी गयी है कि आरोप विरचित किये जाने हेतु कारण दर्शित किया जाना आवश्यक नहीं होता और ऐसा आदेश इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि यह आदेश सूक्ष्म में है और इस स्तर पर विस्तृत आदेश पारित किया जाना अनावश्यक होगा। अमर सिंह बनाम उ०प्र०राज्य २००६(२) ए०सी०आर० १२५२ में उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पधी २००५(१) ए०सी०आर०-७१ की नजीर में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यह व्यवस्था दी गयी है कि आरोप विरचित किये जाते समय केवल वही सामग्री देखी जायेगी, जो दौरान विवेचना विवेचक द्ववारा एकत्रित की गयी हो और आरोप विरचित किये जाते समय साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य ए०आई०आर० २००७ सु.कोर्ट २१४९ में यह व्यवस्था दी गयी है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर यदि न्यायालय यह पाता है कि अपराध अभियुक्त ने कारित किया होगा तो उसे आरोप से आरोपित किया जा सकता है। भले ही दोषसिद्धि के लिए केस निसंदेह रूप से साबित किया जाना आवश्यक होता है। जाकिर हुसेन एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं अन्य २०१०(२) स०सी०आर०१७६० में यह व्यवस्था दी गयी है कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय का बहुत ही सीमित अधिकार होता है और केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया केस आरोप लगाये जाने का पाया जाता है अथवा नहीं। विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियुक्त का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि सत्र परीक्षण सं०-१८८/९१ में फैसला होने के पहले उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था,अत: वह अन्यअभियुक्तगण के साथ जेल में निरूद्ध नहीं था। जेल या बाल सुधार गृह में अभियुक्त निरूद्ध था या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अभियुक्त मृतक जगनरायन की हत्या के षडयंत्र में शामिल था। प्रार्थनापत्र के पैरा-३ में अभियुकत ने कथन किया है कि वह अन्य अभियुक्तगण के साथ जेल में निरूद्ध था। इससे स्पष्ट है कि घटना के समय अन्य अभियुक्तगण के साथ जेल में निरूद्ध था। अन्य अभियुक्तगण का धारा-२२७दं०प्र०सं० का प्रार्थनापत्र १२ख दिनांक १७-१०-२०१९ को निरस्त कर दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्त राम औतार के विरूद्ध धारा-३०२/१२०बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त उपरोक्तानुसार आरोपों से आरोपित किये जाने योग्य है। उन्मोचन प्रार्थनापत्र १७ख निरस्त किया जाता है।

**(संजीव यादव)**
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती
दिनांक १-११-२०१९